



कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.

जल भवन, बाणगंगा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : (0755) 2779411, 2779412 ईमेल : encph@nic.in, वेबसाईट : www.phed.mp.gov.in

क्रमांक 165 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/2025

भोपाल, दिनांक 16/05/2025

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल के पत्र क्रमांक/ईएसबी/5-प-1/891/2024 , दिनांक 20.02.2024 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक 1/212316/2025/22233921/एक(1) भोपाल दिनांक 17.02.2025 द्वारा समूह-3 संयुक्ती भर्ती परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम की वैधता दिनांक 19.08.2024 को आदेश दिनांक 17.02.2025 से तीन माह वृद्धि स्वीकृति के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/ 2023.-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 एवं जाप क्रमांक एफ3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) दिनांक 14 जून 2024 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) के पद पर कॉलम-(04) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

स. क्र.	प्रावीण्य सूची श्रेणी व स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना कार्यालय
01.	02.	03.	04.
1	UR/NIL/OPEN/WAITING/82	श्री अमन सक्सेना पिता श्री रामस्वरूप सक्सेना निवासी- महावीरपुरा, कीट, तहसील मोठ, जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 284303, मोबाईल नं.- 8234808764	मैकेनिकल उपखण्ड श्योपुर, जिला-श्योपुर
2	EWS/NIL/OPEN/WAITING /28	श्री मधुर सक्सेना पिता श्री प्रमोद सक्सेना निवासी- 04 बालाजी मंदिर के पास, किले के अंदर, विदिशा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश, पिन कोड- 464001, मोबाईल नं.- 7828577801	लो0स्वा0यां0 उपखण्ड हरदा, जिला-हरदा

(Handwritten signature)



कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.

जल भवन, बाणगंगा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : (0755) 2779411, 2779412 ईमेल : encph@nic.in, वेबसाइट : www.phed.mp.gov.in

स. क्र.	प्रावीण्य सूची श्रेणी व स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना कार्यालय
01.	02.	03.	04.
3	OBC/NIL/OPEN/ BACKLOG/WAITING/19	श्री कृष्णकांत वर्मा पिता श्री राम किशोर वर्मा निवासी- 125, न्यू सुभाष एच.एस.एस के सामने, दुर्गा वार्ड सारनी रोड, कोठी बाजार बैतूल, जिला- बैतूल, मध्य प्रदेश, पिन कोड- 460001, मोबाईल नं.- 8821090591	लो0स्वा0यां0 उपखण्ड सीहोर, जिला-सीहोर
4	OBC/NIL/FEMALE/WAITING/11	सुश्री प्रीति पटले पिता/पति श्री लक्ष्मी चंद पटले निवासी- वार्ड क्रमांक 02, पंप हाउस गली की अगली सड़क, अली सर हाउस के पास, बालाघाट, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश, पिन कोड- 481001, मोबाईल नं.- 8109880418	लो0स्वा0यां0 उपखण्ड मण्डला, जिला-मण्डला

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 उक्त आदेश परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/ 2023.-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 एवं समसंख्यक जाप क्रमांक एफ-3/2/0014/2023/GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 14 जून 2024 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 2 अभिलेख सत्यापन में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन के दौरान संयुक्त भर्ती परीक्षा-2022 अन्तर्गत आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 23-08-2022 से 03 वर्ष से अधिक पुराना (अर्थात् दिनांक 24-08-2019 के पूर्व जारी) होने की स्थिति में वर्तमान में जारी आय प्रमाण-पत्र नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। जिन अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन-क्रिमिलेयर) का हस्तलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रिमिलेयर) का डिजिटल प्रमाण-पत्र नियुक्ति दिनांक से 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 3 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम, 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

(Handwritten signature)



कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.

जल भवन, बाणगंगा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : (0755) 2779411, 2779412 ईमेल : encph@nic.in, वेबसाइट : www.phed.mp.gov.in

- 4 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 व मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायेपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
- 5 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम, 1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 6 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 8 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 9 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 10 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 12 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 13 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(Handwritten signature)



कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.

जल भवन, बाणगंगा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : (0755) 2779411, 2779412 ईमेल : enceph@nic.in, वेबसाइट : www.phed.mp.gov.in

- 14 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 15 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003/नियम-चार भोपाल दिनांक 13-04-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना, 2005 लागू होगी।
- 16 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(के.के. सोनगरिया)

प्रमुख अभियंता

भोपाल, दिनांक...16/05/2025

पृष्. 4123
स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/2025

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र-एफ-1/1/1/0001/2023/1/34 दिनांक 18.02.2025 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4 आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 5 नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7 मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/जबलपुर/ ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 8 मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 9 अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल - ग्वालियर/नर्मदापुरम/शहडोल/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 10 संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग ग्वालियर/नर्मदापुरम/शहडोल/भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 11 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड - श्योपुर/हरदा/सीहोर/मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.

जल भवन, बाणगंगा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : (0755) 2779411, 2779412 ईमेल : enceph@nic.in, वेबसाईट : www.phed.mp.gov.in

- 12 जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय श्योपुर/हरदा/सीहोर/मण्डला की ओर सूचनार्थ।
- 13 सहायक यंत्री, लो०स्वा०या० उपखण्ड - हरदा/सीहोर/मण्डला एवं मैकेनिकल उपखण्ड श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 14 संबंधित श्री/सुश्री..... और
सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 15 आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


5-5-25
प्रमुख अभियंता